Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadera where necessary
12-11-2022	राज्य द्वारा डी0पी0ओ0 अभियुक्ता डोमार साहू वतः उपस्थित। प्रकरण लोक अदालत में संक्षिप्त विचारण हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्ता के विरूद्ध **धारा 36 सी आबकारी अधिनियम** का अपराध बनना पाये जाने से अपराध विवरण समरी सीट पर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने स्वेच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्ता का अभिवाक दर्ज किया गया। स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध जाकर अभियुक्ता को **धारा 36 सी आबकारी अधिनियम** के अपराध में **राशि 1000/–रूपये** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक दिन का साधारण कारावास भुगतायी जावे। प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति एक पाव में 90 एम0एल0 एवं एक प्लास्टिक गिलास मदिरा गंध युक्त को अपील अवधि समाप्ति पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जब्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जावें। अस्पष्ट/सही **(श्रीमती छाया सिंह)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद **पुनश्च,** अभियुक्त **ने धारा–36(सी) आबकारी अधिनियम** के अपराध तहत अर्थदण्ड की **राशि 1,000/– रूपये** अदा किया। उसे रसीद क्रमांक .... प्रदान किया गया। प्रकरण दाखिल दफतार हो। अस्पष्ट/सही **(श्रीमती छाया सिंह)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद	

[P.T.O.]